

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
//आदेश//

रायपुर, दिनांक 05-01-2015

क्रमांक एफ 01-26/31/स्था./2014 :: इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-20/स्था./31/2014, दिनांक 15.07.2014 द्वारा श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, सहायक अभियंता, कार्यालय अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय मिट्टी एवं परीक्षण प्रयोगशाला, जल संसाधन विभाग, रायपुर से सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद स्थानांतरण किया गया है।

2/ विभागीय स्थानांतरण आदेश क्रमांक एफ 1-20/स्था./31/2014, दिनांक 15.07.2014 के विरुद्ध श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, सहायक अभियंता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका क्रमांक 4578/2014 दायर किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2014 में निर्देश है कि वरिष्ठ सचिव स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

3/ उक्त स्थानांतरण आदेश क्रमांक एफ 1-20/स्था./31/2014, दिनांक 15.07.2014 को निरस्त करने हेतु श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, सहायक अभियंता द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2014-15 के विपरीत किये गये स्थानांतरण प्रकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष निम्नलिखित कारणों का उल्लेख करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया:-

“श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह उल्लेख किया है कि शासनादेश क्र. 3094/2909/31/स्था./2014, दिनांक 03.10.2013 के पालनार्थ नवीन पदस्थापना स्थान कार्यालय अनुसंधान अधिकारी केन्द्रीय मिट्टी एवं पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर में दिनांक 05.10.2013 को कार्य ग्रहण किया है। प्रशासनिक कारणों का स्पष्टीकरण चाहे बिना मात्र 9 महिनो में रायपुर से बालोद स्थानांतरित कर दिया गया है। नए पदस्थापना स्थान बालोद में कोई पद रिक्त नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त स्थानांतरण निरस्त कर पुनः यथावत पदस्थ किये जाने का अनुरोध किया है।”

4/ वरिष्ठ सचिव समिति ने अनुशंसा दिनांक 16.10.2014 में श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में बताये गये कारणों पर विचार करते हुए, स्थानांतरण नीति वर्ष 2014-15 की कंडिका-2(2.5),(2.8) का उल्लंघन होना पाये जाने के कारण अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों अनुसार मान्य करने की अनुशंसा की है।

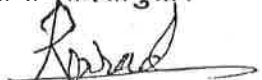
5/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक 4578/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2014 के परिपालन एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर समग्र विचारोपरांत विभागीय आदेश क्रमांक एफ 01-20/31/स्था./2014, दिनांक 15.07.2014 के सरल क्रमांक-127 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा तत्काल प्रभाव से श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, सहायक अभियंता को पूर्ववत स्थान कार्यालय अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय मिट्टी एवं परीक्षण प्रयोगशाला, जल संसाधन विभाग, रायपुर में अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक यथावत पदस्थ करता है।

6/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2014-15 के अनुसार समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त किया है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

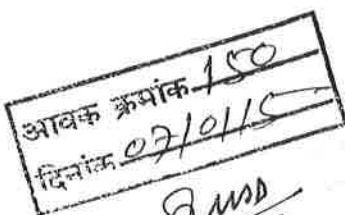


(आर.के.नारद)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग



पृ.क्रमांक एफ 01-26/31/स्था./2014,
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 05-01-2015

1. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर । कृपया माननीय उच्च न्यायालय को याचिका क्रमांक 4578/2014 में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2014 के संदर्भ में अवगत कराने हेतु अनुरोध है ।
 2. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, रायपुर ।
 3. निज सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
 - ✓ 4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर ।
 5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर, छ.ग. ।
 6. नोडल अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, मिनीमाता, हसदेव बांगो परियोजना, बिलासपुर ।
 7. अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय मिट्टी एवं परीक्षण प्रयोगशाला, जल संसाधन विभाग, रायपुर ।
 8. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, बालोद ।
 9. श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, सहायक अभियंता द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर ।
 10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रायपुर, छ.ग. ।
 11. आदेश फोल्डर ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग